



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, भारत, जयपुर, राजस्थान-320024
Rashmi Bhaswan, 5th Floor, Sector-II, Aligarh, Lucknow-226024, Telatax: 2326688, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env) fm_env@rediffmail.com, (Forest) govt@rediffmail.com

पत्र सं० बी/राज/०४/०६/२०१७/एफ सी/१५५३

दिनांक: 13.01.2020

श्री गे

मुख्य वन सहायक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी
वन विभाग, अजमेर मवन, इलाका इन्फोर्मेशन एंड
जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No. FP/RAJ/Trans/18689/2016

विषय: Diversion of 6.35 ha. of forest land for 400 KV DC Quad Ajmer (New)- Ajmer (RVPN) Transmission Line in favour of Power Grid Corporation Ltd., Ajmer- reg.

संदर्भ, मुख्य वन सहायक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), जयपुर का पत्रांक-एफ 14(पीजीसीआईएल)2016 / एफ सी ए / प्रमुख / 2018, दिनांक-29.07.2019.

अनुमत विषय पर मुख्य वन सहायक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण) जयपुर, राजस्थान का पत्रांक एफ 14 पीजीसीआईएल/2016/एफ सी ए/प्रमुख/1193, दिनांक-01.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विधायक प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की भाषा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी। प्रस्ताव प्रकल्प में इस कार्यलय के समसंयुक्त वन दिनांक-04.08.2017 द्वारा सौभाग्यवश स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालना मुख्य वन सहायक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सदमित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर निम्नलिखित मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विधायक परियोजना हेतु 6.35 हे० संश्लेषित वन भूमि के पर्यावरण एवं 69 वृक्षों के घातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 12.7 ha. (6.35 x 2 = 12.7 ha.) degraded forest land. (Compartment/Khasra No. Nil, Village-Nil, Tehsil-Nil, District-Ajmer) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
5. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012 FC dated 05.05/2014 & 19/11/2014.
6. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.
9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

203

5

11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
14. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
15. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42 2017-FC dt 29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

मवदीया,


(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, अजमेर, राजस्थान।
3. उप प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. 703, आवासीय योजना, प्रगतिनगर, कोटडा, अजमेर-305004
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14(पीजीसीआईएल)2016/एफसीए/प्रमुवसं/ 3809

दिनांक: 27/10/17

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल,
केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज,
लखनऊ-226024 (उ०प्र०)

154

विषय:-Diversification of 6.35 ha of forest land for 400 K.V. D/C Quad
Ajmer (New)-Ajmer (RVPN) Transmission line in favour
Power Grid Corporation of India Ltd., Ajmer.

संदर्भ:-आपका पत्रांक 8 बी/राज/04/6/201/एफसी/200 दि.
4/8.8.17 एवं 221 दि. 22.8.17

90/132/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 9820 दि. 30.08.17 से प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक, अजमेर ने उनके पत्रांक 5734 दि. 4.9.2017 एवं 6637 दि. निल से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है :-

98/79/139/c

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	अण्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात् 12.7 है० (6.35X2=12.7 hac.) पर क्षतिपूर्क वृक्षरोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी।	शर्तानुसार राशि रुपये 16,38,300/- होने पर ई-चालान द्वारा आदेश सं. सीआर 16744408 दि. 28.8.17 द्वारा जमा करायी जा चुकी है, जो कुल राशि 86,23,400/- में सम्मिलित है। छायाप्रति संलग्न है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी।	शर्तानुसार राशि रुपये 30,10,000/- होने पर ई-चालान द्वारा आदेश सं. सीआर 16744408 दि. 28.8.17 द्वारा जमा करायी जा चुकी है, जो कुल राशि 86,23,400/- में सम्मिलित है। छायाप्रति संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली जमा की जाएगी। इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार	शर्तानुसार राशि रुपये 39,75,100/- होने पर ई-चालान द्वारा आदेश सं. सीआर 16744408 दि. 28.8.17 द्वारा जमा करायी जा चुकी है, जो कुल राशि 86,23,400/- में सम्मिलित है। छायाप्रति संलग्न है।

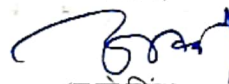
155

	विवरण अर्थात् एनपीवी, सीए, पारपण लाईन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	अण्डरटेकिंग संलग्न है।
6.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।	अण्डरटेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	अण्डरटेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	अण्डरटेकिंग संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय,



(ए.के.सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

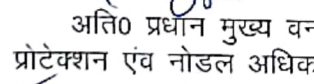
दूरभाष कार्यालय-01412713759, मो.न. 9414059146

क्रमांक: एफ14(पीजीसीआईएल)2016/एफसीए/प्रमुवसं/3810-13

दिनांक: 27.10.17

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, अजमेर।
3. उप वन संरक्षक (CAMP), कार्यालय हाजा।
4. उप प्रबंधक, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 703, आवासीय योजना, प्रगतिनगर, कोटडा, अजमेर-305004


अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/: Office documents/C

↑

159

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक:-एफ()एफसीए/उवसं/2016-17/

दिनांक:-

निमित्त,

मुख्य प्रबंधक,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
703, कोटडा आवासीय योजना,
प्रगती नगर कोटडा,
अजमेर-305004

विषय:- Diversion of 6.35 Hectare Forest Land for 400 KV Ajmer (New)-Ajmer (RVPN) Power Transmission line for Power Grid Corporation of India Limited, Ajmer

संदर्भ:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर का पत्रांक एफ 14 (पीसीआईएल)2016/ एफसीए/ प्रमुवसं/3142 दिनांक 06.09.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में 69 वृक्षों के पातन की स्वीकृति शर्ताधीन जारी की गई थी। इस कार्यालय के पत्रांक 10060 दिनांक 08.09.2017 द्वारा प्रकरण में पातन किये गये वृक्षों को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के पत्रांक 1587 दिनांक 20.09.2017 के निर्देशानुसार कार्यवाही कर क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर से संपर्क कर 69 वृक्षों को पचकुण्ड नर्सरी में जमा करावें एवं पावती रसीद अविलम्ब निजवावें।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

12544-45

दिनांक:- 27-11-17

1. प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में शर्ताधीन कार्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.07.2013 से Hon,ble National Green Tribunal द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय के क्रम में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। उक्त निर्णय के क्रम में जारी स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाना है अथवा नहीं के क्रम में मार्गदर्शन प्रदान करने का भी कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

139

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान—जयपुर।

FCA

22
12/10/17

विषय:- Diversion of 6.35 Ha. Forest land For 400 kv Ajmer
(New)-Ajmer (RVPN) Power Transmission line for Power
Grind Corporation of India Limited] Ajmer.

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14()2016/प्रमुखसं/3276 दिनांक 15.9.2017 (13419)

2011

12/10/17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ती उप वन संरक्षक अजमेर ने अपने पत्रांक 10858 दिनांक 03.10.2017 द्वारा इस कार्यालय को भिजवायी गयी है। मूल प्रस्ताव 3 सेट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी.के.उपाध्याय)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

क्रमांक सम /

कमांक सम/
प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, अजमेंर को उनके पत्रांक 10858 दिनांक 03.10.2017 के क्रम में सूचनार्थ
प्रेषित है।

दिनांक

(पी.के.उपाध्याय)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2017-18/
निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

दिनांक:- 13/8

विषय:- Diversion of 6.35 Hectare Forest Land for 400 KV Ajmer (New)-Ajmer (RVPN) Power Transmission line for Power Grid Corporation of India Limited, Ajmer.

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ14(PGCI) 2016/एफसीए/प्रमुवसं/3276 दिनांक 15.09.2017 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 6279 दिनांक 20.09.2017 के क्रम में।

सहीदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर दी गई हैं। मूल प्रस्ताव तीन सेट में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।
संलग्न :- तीन सेट

भवदीय
ह
(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

दिनांक:- 3/10/17

क्रमांक :-सम/ 10859

प्रतिलिपि:-

1/ अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



पावरग्रिड

कार्यालय : सी-703, प्रगति नगर, कोटरा आवासीय योजना, कोटरा, अजमेर (राजस्थान)-305004 फोन : 0145-2310112 ई-मेल : pgcilajmer@gmail.com
Office : B-703, Pragati Nagar, Kotra Awasia Yojna, Kotra, Ajmer (Rajasthan)-305004 Tel.: 0145-2310112 E-mail : pgcilajmer@gmail.com

Ref:- NR-1/AJR/400 KV/ 954

Dated:28.08.2017

The Divisional Forest Officer,
Ajmer, Rajasthan.

Sub: - Compliance Report of REC Meeting, Lucknow regarding diversion 6.35 ha. Forest land for 400KV Ajmer (new)-Ajmer (RVPN) transmission line.

On Line Proposal Ref No: FP/RAJ/TRANS/18689/2016

Dear Sir,

With reference to above Subject, the compliance REC meeting letter no. 8 बी/राज0/04/6/2017/एफ.सी./200 DT 08.08.2017 for diversion of 6.35 ha. Land for construction of 400KV Ajmer (New)-Ajmer (RVPN) Transmission line. The Point wise Compliance Report is as under and here by submitting 06 nos. copies for your further necessary action.

Sl No.	R C Meeting observation	Reply by user Agency
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	Undertaking Attached
2.	प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वन भूमि अर्थात 12.7 हे० (6.35x2=12.7ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा,नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	Amount deposited vide Pay order No. CR16744408 DT. 28.08.2017 (e- challan attached)
3	प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा यथासंशोधित)राज्य सरकार के पास जमा की जायेगी।	Amount vide Pay order No. CR16744408 DT. 28.08.2017 deposited(e- challan attached)
4.	प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन.पी.वी) की निर्धारित राशि कैम्पा,नई दिल्ली में जमा की जायेगी। इसके उपरांत जमा की गयी धन राशि की ऑनलाइन ई-रशीद की छायाप्रति सहित सैधांतिक स्वीकृत की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन० पी० वी०,क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पारोपण लाइन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की	Amount deposited Vide Pay order No. CR16744408 DT. 28.08.2017(e- challan attached)

पंजीकृत कार्यालय: सी-703, प्रगति नगर, कोटरा आवासीय योजना, कोटरा, अजमेर (राजस्थान)-305004 फोन: 0145-2310112, 26560072, 26560075, फैक्स: 011-26560054 वेबसाइट: www.powergridindia.com
Regd. Office: B-703, Pragati Nagar, Kotra Awasia Yojna, Kotra, Ajmer (Rajasthan)-305004 Tel.: 0145-2310112, 26560072, 26560075, Fax: 011-26560054, Web: www.powergridindia.com

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं
Save Energy for Benefit of Self and Nation

	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवधता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन पी वी की धन राशी बढ़ोतरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	Undertaking Attached
	विधिवत स्वीकृत के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊँचे आर सी सी पिलरों से किया जायेगा। जिसमे प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी जी पी एस निर्देशांक Backward and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शाई जायेगी।	Undertaking Attached
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	Undertaking Attached
8.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा निर्देशों का पालन करेगी।	Undertaking Attached

आपसे अनुरोध है कि आप कार्य करने की अनुमति प्रदान करें।

Thanking you.

CH
(अजय चितौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर


Uday Kumar
Chief Manager, Ajmer
उदय कुमार/Uday Kumar
मुख्य प्रबंधक/Chief Manager
पावर ग्रिड/Power Grid
अजमेर/Ajmer

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-08-2017

Agency Name.	POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
Application No.	116186892016731
Location.	RAJASTHAN
Address.	703 Avashiya Yojna Pragati Nagar Kotra Ajmer RajasAjmer
Amount(in Rs)	8623400/-

Amount in Words : Eighty-Six Lakh Twenty-Three Thousand Four Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15085116186892016731
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-08-2017

Agency Name.	POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
Application No.	116186892016731
Location.	RAJASTHAN
Address:	703 Avashiya Yojna Pragati Nagar Kotra Ajmer Rajas Ajmer
Amount(in Rs)	8623400/-

Amount in Words : Eighty-Six Lakh Twenty-Three Thousand Four Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15085116186892016731
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in


उदय कुमार / Uday Kumar
मुख्य प्रशासक / Chief Manager
पावर ग्रिड / Power Grid
अजमेर / Ajmer

Details

Number

CR16744408

Scheduled and Authorised: verify payment status after Scheduled time.

Time

28-Aug-2017 [08:00 AM] IST

28-Aug-2017

RAJASTHAN CAMPA

Eighty Six Lakhs Twenty Three Thousand Four

86,23,400.00

hundred only

00000030652568025

JAWAHARLAL NEHRU
UNIVERSITY

PRADEEP KUMAR GUPTA
Maker

JITENDRA KUMAR
Authorizer 1

SHIV KUMAR SHARMA
Authorizer 2

"CR16744408"

Interfoil Description

2400101892

Transaction Type

RTGS Funds transfer

Beneficiary Account Details

Account No.

Branch

Amount

0000030652568025

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

86,23,400.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.

Bank/Branch/IFSC Code

Amount

Credit Sta

RAJASTHAN

CAMPA/15085116186892016731

CORPORATION BANK/FCS
BANGALORE/CORP0000633

86,23,400.00

Pending



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० ८बी/राज०/०४/६/२०१७/एफ.सी. /२००

दिनांक: ०४.०८.२०१७

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/Trans/18689/2016

विषय: Diversion of 6.35 ha. of forest land for 400 KV DC Quad Ajmer (New)- Ajmer (RVPN) Transmission Line in favour of Power Grid Corporation Ltd., Ajmer- reg.

सन्दर्भ- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक-
एफ१४(RVPN)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/2538, दिनांक-31.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण को दिनांक- 26.07.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 19वीं बैठक में एजेण्डा नं०-19.7-राज० पर विचार हेतु सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रस्ताव को सशर्त (संशोधित kmf file उपलब्ध कराने के उपरान्त) स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बैठक में प्रस्ताव से संबंधित चाही गयी सूचना की अनुपालन आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 6.35 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 69 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात् 12.7 हे० (6.35x2=12.7 ha.) पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) राज्य सरकार के पास जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, पारोपण लाइन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

- 145
5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
 6. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।
 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
 8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-4, 2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, अजमेर, राजस्थान।
5. उप प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ़ इण्डिया लि0, 703, आवासीय योजना, प्रगतिनगर, कोटड़ा, अजमेर-305004
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

परियोजना का नाम:- पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि० अजमेर
400 के.वी. डी० सी० सर्किट (क्वाड) अजमेर (न्यू)-अजमेर (आर० वी० पी० एन०) पारिषण लाइन

वन भूमी की वैधानिक स्थिती

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता के द्वारा भूमी की वैधानिक स्थिती में कोई परिवर्तन नहीं होगा.


ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

उदय कुमार/Uday Kumar
मुख्य प्रबंधक/Chief Manager
पावर ग्रिड/Power Grid
अजमेर/Ajmer

प्रति हस्ताक्षर

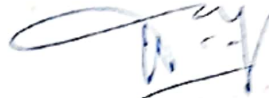

(अजय चितोड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

147

परियोजना का नाम— पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लि० अजमेर
400 के.वी. डी० सी० सर्किट (क्वाड) अजमेर (न्यू)-अजमेर (आर० वी० पी० एन०) पारेषण लाइन

Muck disposal योजना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 400 के.वी. डी० सी० सर्किट (क्वाड) अजमेर (न्यू)-अजमेर (आर० वी० पी० एन०) पारेषण लाइन हेतु 1.32044(M)X48(M) कुल 6.35 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है, उक्त पारेषण लाईन जो वन क्षेत्र से निकलेगी उसमें 05 टावर है जिसमें एक टावर में 4no.X7.48X7.48X3.00 मीटर क्यूब गढ़ा खुदका खुदका जिसमें 0.5 मीटर की राफ्ट प्रत्येक गड़दे में होगी शेष भाग में वापस मिट्टी भर दी जाएगी जिससे मिट्टी के अवशेष नहीं रहेंगे। इस प्रकार muck disposal की आवश्यकता नहीं होगी।


B. Shankar
20/7
Power Development, इन्दौर


B. Shankar
20/7
Power Development, इन्दौर

निस्सह
①
(अन्य प्रिजिंका)
एच वन संरक्षक
अजमेर

परियोजना का नाम:- पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि० अजमेर
400 के.वी. डी० सी० सर्किट (क्वाड) अजमेर (न्यू)-अजमेर (आर० वी० पी० एन०) पारेषण लाइन

CA की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो CA की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार जमा करने हेतु पावरग्रिड वचनबद्ध है।


B. Shastry
मुख्य प्रबंधक/Chief Engineer
पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि० अजमेर


B. Shastry
प्रयोक्ता एजेन्सी
PowerGrid, Ajmer

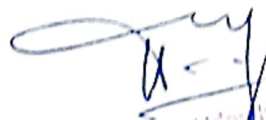
प्रति हस्ताक्षर


(अजय चितंबर)
उप वन संरक्षक
अजमेर

परियोजना का नाम:- पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि० अजमेर
400 के.वी. डी० सी० सर्किट (ववाड) अजमेर (न्यू)-अजमेर (आर० वी० पी० एन०) पारेषण लाइन

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार जमा करने हेतु पावरग्रिड वचनबद्ध है।


उप वन विभाग/UP Forest Department
भुवनेश्वर/Chief Conservator
वन विभाग, अजमेर
10/11/2018

प्रति हस्ताक्षर


(अजय चित्तोजा)
उप वन संरक्षक
अजमेर


B.S. Shrivastava
प्रयोक्ता/प्रोक्सी
PowerGrid, Ajmer

परियोजना का नाम:- पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि० अजमेर
400 के.वी. डी० सी० सर्किट (क्वाड) अजमेर (न्यू)-अजमेर (आर० वी० पी० एन०) पारेषण लाइन

नियम,कानून तथा दिशा निर्देश पालन हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम,कानून तथा दिशा निर्देश पालन करने हेतु पावरग्रिड वचनबद्ध है।


उप निदेशक/अधीक्षक
मुख्य प्रबंधक/Chief Engineer
पावर ग्रिड/Power Grid
अजमेर/Ajmer


B. Shankar
हो/Manager
प्रयोक्ता एजेन्सी
PowerGrid, Ajmer

प्रति हस्ताक्षर


(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

परियोजना का नाम:- पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि० अजमेर
400 के.वी. डी० सी० सर्किट (क्वाड) अजमेर (न्यू)-अजमेर (आर० वी० पी० एन०) पारेषण लाइन

सीमा स्तम्भों हेतु धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर सीमा स्तम्भों का सीमांकन कर, सीमा स्तम्भ हेतु जो भी राशि विभाग द्वारा मांगी जाएगी, उक्त राशि तत् समय में पावर ग्रिड द्वारा जमा करा दी जाएगी।


B. Shankar
प्रमुख प्रयोजन प्रजेंसी
पावर ग्रिड, अजमेर


B. Shankar
प्रमुख प्रयोजन प्रजेंसी
PowerGrid, Ajmer

प्रतिस्वक्षक

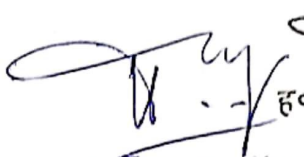
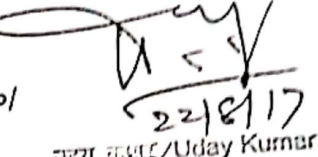

(अजय चितौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

परियोजना का नाम :- पावरग्रिड कारपोरेशन इंडिया लि. अजमेर

400 केवी डी०सी० सर्किट अजमेर(न्यू)-अजमेर(आर.वी.पी.एन) पारेषण लाइन

दीवार बनाने हेतु धनराशि जमा कराये जाने का प्रामाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उपवन संरक्षक, अजमेर द्वारा 1.5 किमी दीवार निर्माण हेतु राशि अधिरोपित की गयी थी। भारत सरकार/राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा उक्त राशि अधिरोपित किये जाने पर उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।



 22/8/17
 उदय कुमार/Uday Kumar
 मुख्य प्रबंधक/Chief Manager
 पावर ग्रिड/Power Grid
 अजमेर/Ajmer

प्रति हस्ताक्षर


 (अजय चितौड़ा)
 उप वन संरक्षक
 अजमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

166

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है Diversion of 6.35 Hectare Forest Land for 400 KV Ajmer (New)-Ajmer (RVPN) Power Transmission line for Power Grid Corporation of India Limited, Ajmer के प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण (मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, 703, आवासीय योजना, प्रगति नगर, कोटड़ा, अजमेर) द्वारा वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियां नहीं की गई हैं अर्थात् वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

[Role : Nodal Officer]
[State : Rajasthan]



Status of the Payment made by User Agencies

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Add CA : Additional Compensatory Afforestation

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment;
Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

 : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

 Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Challan
Generated

 This icon shows that the challan has been generated.

 Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.

 Paid

: This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014

All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Lucknow

Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

Bank Name : --Select All--

Mode of Payment :

Transaction Date (From) :

Transaction Date (To) :

Enter value for Search : 18689

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	<u>UP/RJ/TRANS/18689/2016</u> 400 KV Ajmer (New)-Ajmer(RVPH) Power Transmission line	TRANS186892016731	08 Aug 2017	CA: 1638300/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3975100/- Planting of medicinal plant below transmission lin : 3010000/- Total : 8623400/-	 Paid	Fund Demand Verified by : 22 Aug 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT ATES (Chennai) Challan Generated On : 22 Aug 2017 Transaction Date : 28 Aug 2017	22 Aug 2017 22 Aug 2017 22 Aug 2017

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR